भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल म,प्र.

फोन 0755–2661263,2737446 Website :www.Bsgmp.net E-Mail :Scoutguide_bpl @ dataone.in

क्रमांक/......... ..../रा.मु/साज–सज्जा/2011 भोपाल, दिनांक ....

प्रति,

....
....
....

विषय :- सामग्री की दरें भेजने संबंधी वर्ष 2011-12 हेतु ।

..00..

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय को संलग्न टेण्डर फार्म विवरण अनुसार सामग्री की आवश्यकता है कृपया उक्त संबंध में अपनी दरें सील बंद लिफाफे में दिनांक 04.06.11 तक आवश्यक रूप से कार्यालय में दोपहर 3.00 बजे तक निम्नानुसार शर्तो के साथ कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकते है ।

शर्ते :-

(1) वस्तुओं का प्रदाय मूल्य सभी करों सहित पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करें ।स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कर मान्य नही होगा ।

(2) स्वीकृत फर्म की सामग्री प्रदाय करने की समय-सीमा दरें प्राप्त करने के दिनांक से समान्यतः एक वर्ष रहेगी इस अवधि को बढाने व घटाने का अधिकार राज्य मुख्य आयुक्त का होगा।

(3) सामग्री प्रदाय (केवल टेन्ट, अलमारी एवं टिन बॉक्स) एफ.ओ.आर. (डेस्टीनेशन) भोपाल के अतिरिक्त सम्पूर्ण म.प्र. भी हो सकता है ।अतः भोपाल की दर तथा भोपाल के बाहर की दर पृथक-पृथक दें ।

(4) सामग्री सेम्पल के अनुसार ही स्वीकृत की जावेगी, माल या सामग्री स्वीकृत नमूने के अनुसार ना होने पर स्वीकार नही होगी ऐसी सामग्री फर्म स्वंय के व्यय पर राज्य मुख्यालय से प्राप्त करेगी जिसकी अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी ।

(5) जिस फर्म की दरें स्वीकृत होती है और वह समय सीमा में सामग्री प्रदाय नही करती है या घटिया स्तर की सामग्री प्रदाय करती है तो उसे नमूने के अनुसार कार्यालय द्वारा समय सीमा में पुनः सामग्री प्रदाय का अवसर दिया जा सकता है इसके पश्चात् भी फर्म से कोई **Response** नही मिलने पर उसका पंजीयन निरस्त कर प्रत्याभूति राशि जप्त करने का अधिकार राज्य मुख्य आयुक्त को होगा । ।

(6) प्रदाय आदेश की समय सीमा कायदिश के अनुसार सामग्री का प्रदाय अधिकतम 30 दिवस रहेगी ।

(7) किसी भी फर्म की दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य सचिव भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. भोपाल के पास सुरक्षित है ।

निरंतर.................2

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

विवाद की दशा में राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एवं गाइड भोपाल का निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा ।

(9) फर्म को निविदा पत्र के साथ टिन नंम्बर देना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी । प्रदेश के बाहर की फर्मो को सी.एस.टी. नंम्बर देना आवश्यक होगा ।

(11) दरी, टेन्ट एवं म्यूजिक सामग्री के सेम्पल अस्वीकृत होने पर भी एक वर्ष पश्चात् ही वापस किये जा सकेगे ।

(12) फर्म पत्र के साथ संलग्न सूची में ही सामग्री के सामने दरे अंकित करें व सूची में दर्शित सामग्री की एक ही दर अंकित की जाये यदि कोई फर्म एक से अधिक दर (सूची में दर्शित सामग्री के अतिरिक्त) किसी ब्रान्ड या सामग्री की दर अंकित करती है, तो फर्म की दरें पर विचार नही किया जावेगा, अतः फर्म सलंग्न सूची में ही अपनी दरें अंकित करें और एक ही क्वालिटी की दर अंकित करें ।

(13) फर्म को निविदा फार्म के साथ टेण्डर फार्म केटेगरी A,B,D के लिए 20,000/- रूपये तथा फार्म C, एव F के लिए प्रात्याभूति राशि 5,000.00 व E के लिए प्रात्याभूति राशि 2000/- राशि निर्धारित है जो नगद या बैंक, डी.डी. **राज्य सचिव, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. के नाम** से जमा करना आवश्यक होगा ।यदि किसी प्रदायकर्ता द्वारा उक्त प्रत्याभूति राशि टेण्डर फार्म के साथ नही भेजी जाती है तो उसका फार्म स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

(14) निविदा के साथ संलग्न सेम्पल पर फर्म का स्पष्ट नाम, सील, दर अंकित होना आवश्यक है ।

(15) टेण्डर फार्म कि कीमत 1000/-प्रति टेण्डर फार्म है ।

(16) निविदा फार्म अलग-अलग लिफाफे में भेजे, व लिफाफे के उपर निविदा फार्म (केटेगरी) क्रमांक भी अंकित किया जावे एक ही फर्म एक से अधिक केटेगरी में दर प्रस्तुत करना चाहती है तो दरों के पृथक-पृथक लिफाफे उपयोग हो तथा लिफाफों पर फार्म की केटेगरी आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए ।

(17) प्रदाय सामग्री का भुगतान सामग्री प्रदाय दिनांक से 60 दिवस में करने का प्रयास किया जावेगा किन्तु अपरिहार्य कारणों से संभव नही हुआ तो किसी भी प्रकार का ब्याज देना बंधनकारी नही होगा ।

(18) सबसे न्यून दर स्वीकृत होने वाली फर्म यदि सामग्री प्रदाय में असमर्थ रहती है तो Second Or Third lowest फर्म को सामग्री प्रदाय के लिए अधिकृत किया जावेगा ऐसी स्थिति में Second Or Third lowest फर्म की सेम्पल सामग्री तथा प्रात्याभूति राशि शीघ्र वापस नही की जा सकेगी ।

(19) जहां आवश्यक होगा भुगतान के समय शासन नियमानुसार टेक्स की कटौती की जावेगी ।

(20) सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार राज्य मुख्य आयुक्त का होगा।

(21) ऐसी संस्था या फर्म जिसको कि शासन से प्रत्याभूति राशि जमा करने की छूट है उन्हें उक्त आश्य का प्रमाण-पत्र लगाना होगा तथा ऐसी फर्म व संस्था को सामग्री प्रदाय हेतु कार्यादेश दिये जाने के पूर्व भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश से अनुबंध करना होगा ।

निरंतर..........

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

(22) जिस फर्म की दरें स्वीकृत होती है यदि वह सामग्री देने में असमर्थ रहती है या फर्म के द्वारा प्रदत्त सामग्री गुणवत्ता अनुरूप नही पाई जाती है या संस्था की शर्तो का पालन नही पाया जाता है तो ऐसी फर्म को बाहर किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।जिसके लिए फर्म स्वंय जबाबदेय रहेगी ।

(23) जिस आइटम की भी दरें दी जा रही है उस आइटम का हस्ताक्षर युक्त सेम्पल लगाना आवश्यक है, कपड़े के मामले में एक-एक मीटर के सेम्पल संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(24) किसी भी वाद-विवाद की दशा में न्यायलयीन क्षेत्र भोपाल होगा ।

नोट :-प्राप्त मुहरबंद निविदाये दिनांक 06.06.11 को 3.00 बजे खोली जावेगी, प्रदायकर्ता या उनका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड, म.प्र.

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com